

समाहरणालय, नवादा

पत्रांक:- 1701 / खनन (खनन शाखा) दिनांक:- 31/12/18

सेवा में

श्री राजेन्द्र सिंह,
15 मदर टेरेसा मार्ग,
उत्तरी श्री कृष्णापुरी पटना, बिहार-800013

विषय :- नवादा जिलान्तर्गत मौजा-खखन्दुआ, ब्लॉक सं0-A के प्लॉट सं0-01(P) के रकवा-16.50 एकड़ क्षेत्र पर बन्दोवस्ती में लिए गए पत्थर भूखण्डों के सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभागीय निदेशानुसार नवादा जिला के गोविन्दपुर अंचलान्तर्गत मौजा-खखन्दुआ के पत्थर भूखण्ड सं0-A का ई0-नीलामी दिनांक-12.12.18 को सम्पन्न हुई। मौजा-खखन्दुआ के प्लॉट सं0-01(P) रकवा-16.50 क्षेत्र पर पत्थर भूखण्ड की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं बंधेजों पर प्रदान किया जा रहा है।

1. मौजा- खखन्दुआ प्लॉट सं0-01(P) पत्थर भूखण्ड सं0-A
2. रकवा- 16.50 एकड़।
3. खनिज :- साधारण पत्थर
4. अवधि :- पट्टा निष्पादन से 5 (पाँच) वर्षों के लिए विधिमान्य होगी तथा निष्पादित दस्तावेज का निबंधन कराना होगा अन्यथा पट्टा रद्द कर दिया जायेगा।
5. पत्थर भूखण्डों की बन्दोवस्ती राशि का 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि का भुगतान (अग्रधन की राशि एवं डाक के दौरान जमा की गई का समायोजन करते हुए) किया गया है, जिसका समायोजन अंतिम किस्त में किया जायेगा, बशर्ते कि उनके उपर कोई बकाया नहीं हो तथा उनका कार्य संतोषजनक हो।
6. इस सैद्धान्तिक स्वीकृत्यादेश के 120 दिनों के अन्दर फार्म 'डी' में खनन पट्टा संविदा निम्नलिखित कागजातों के साथ दाखिल करना होगा।

- (क) संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र का Mining Plan नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अनुसार तैयार एवं अनुमोदित कराकर समर्पित करना होगा।
- (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की राज्य स्तरीय समिति (SEIAA) से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर समर्पित करना होगा।
- (ग) बन्दोवस्ती राशि के 20 प्रतिशत राशि (प्रथम किस्त) का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पट्टा संविदा निष्पादन के पूर्व जमा करना होगा।
- (घ) प्रत्येक किस्त के साथ दो प्रतिशत राशि तथा उस पर देय अधिभार का भुगतान आयकर के मद में आयकर विभाग को भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।
- (ङ) बन्दोवस्ती राशि का 2 प्रतिशत राशि District Mineral Foundation के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा।



राजेन्द्र सिंह

(च) आवेदित क्षेत्र का मानचित्र (ग्राम मूल मानचित्र के अनुरूप) के रूप में समर्पित करना होगा।

(छ) खनन पट्टा संविदा के निष्पादन के तुरन्त बाद खनन पट्टेधारी उक्त निष्पादित पट्टा संविदा का निबंधन कराकर समर्पित करना होगा।

7. बन्दोवस्ती राशि का भुगतान पाँच किस्तों में किया जायेगा, जिसके प्रथम किस्त का भुगतान पट्टा निष्पादन के पूर्व करना होगा तथा अन्य किस्तों का भुगतान अगले पंचांग वर्ष के 31 जनवरी के पूर्व प्रत्येक वर्ष करना होगा।
8. निर्धारित तिथि तक किस्त का भुगतान नहीं करने पर दो माह तक 24 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रभारित किया जायेगा तथा उसके बाद खनन पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
9. बन्दोवस्ती राशि से अधिक खनिज के प्रेषण पर प्रचलित दर से अतिरिक्त स्वामिस्व देय होगा।
10. खनन पट्टेधारी को खनिज के परिवहन हेतु वाहन के चालक को ऑनलाईन ई0-चालान (परिवहन चालान) निर्गत करना होगा, जिसमें वसूली गई राशि भी अंकित करना होगा।
11. पट्टा क्षेत्र से उत्पादित एवं प्रेषित खनिज का विवरण अंकित करते हुए पंजी संधारित करना होगा।
12. प्रेषित खनिज का विवरण अंकित करते हुए अनुवर्ती माह के 15वीं तारीख तक मासिक विवरणी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दाखिल करना होगा। विलम्ब की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
13. पट्टा क्षेत्र में साईन बोर्ड लगाना होगा, जिसमें पट्टाधारी का नाम-पता पट्टा क्षेत्र का विवरण एवं पट्टावधि अंकित करना होगा तथा पट्टा का सीमा स्तम्भ हमेशा लगाकर रखना होगा।
14. वन सीमा के क्षेत्र में पचास फीट रिक्त स्थल छोड़कर लगभग 150 मीटर दिवार (Fencing) के साथ वन सीमा को घेराना होगा।
15. बन्दोवस्तधारी को खनिज के प्रेषण हेतु धर्मकाँटा की स्थापना करना होगा।
16. खनन पट्टा संविदा के भाग VII की कंडिका-7 के आलोक में कार्य विभाग को प्राथमिकता के आधार पर पत्थर खनिज उपलब्ध कराना होगा। कार्य विभाग की आपूर्ति सुनिश्चित होने के उपरान्त ही किसी अन्य व्यक्तियों को पत्थर बिक्री/आपूर्ति किया जा सकेगा।
17. BMMC Rule 1972 (यथा संशोधित) में वर्णित प्रावधानों तथा उसके तहत Mining Plan एवं पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण-पत्र में वर्णित शर्तों एवं बंधेजों तथा अन्य सभी सुसंगत नियमों/प्रावधानों का पालन करते हुए खनन कार्य करना होगा।
18. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957, बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 (यथा संशोधित), बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण निवारण) नियमावली 2003 (यथा संशोधित) तथा अन्य सुसंगत अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/समाहर्ता द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
19. निविदा दस्तावेज के शर्तों एवं बंधेजों का अनुपालन करना होगा।
20. उपर्युक्त शर्तों एवं नियमों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर खनन पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
21. समाहर्ता को सरकार के हित में तर्क संगत आदेश पारित करते हुए किसी भी समय निविदा एवं बन्दोवस्ती रद्द करने का अधिकार होगा।



Signature

समाहरणालय, नवादा।

(खनन शाखा)

पत्रांक 3/35/ख0

प्रेषक,

समाहर्ता,
नवादा।

सेवा में,

श्री राजेन्द्र सिंह,
S.O.- सगदेय सिंह
पता- मकान नं० 15, गदर टेरेसा रोड,
जलारी कृष्णापुरी पटना, बिहार पिन- 800013

मेसर्स पटेल एग्री इंजिनीयर्स प्रा० लि०,
C.O.- सजीव कुमार रजनी,
B-116, PC कॉलोनी, लोहिया नगर,
कंकड़बाग, पटना।

नवादा, दिनांक 12/05/2023.

विषय :- माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा LPA NO.- 125/2021 IN CWJC No.- 8374 OF 2020 मेसर्स पटेल एग्री इंजिनीयर्स प्रा० लि० बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक- 19.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेक्टर, पटना के द्वारा मौजा- खखन्दुआ के नीलामित पत्थर भूखण्ड सं०- A एवं B का उपलब्ध कराये गये Co-ordinate के अनुसार नया खनन योजना समर्पित करने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा LPA NO.- 125/2021 IN CWJC No.- 8374 OF 2020 मेसर्स पटेल एग्री इंजिनीयर्स प्रा० लि० बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक- 19.04.2023 को सुनवाई करते हुए नवादा जिला के गोविन्दपुर अंचलान्तर्गत मौजा- खखन्दुआ के नीलामित दोनों पत्थर भूखण्ड सं०- A एवं B से संबंधित नया खनन योजना समर्पित करने हेतु आदेशित किया गया है (LPA NO.- 125/2021 IN CWJC No.- 8374 OF 2020 मेसर्स पटेल एग्री इंजिनीयर्स प्रा० लि० बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक- 19.04.2023 को पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न)। उक्त के आलोक में आपको निदेश दिया जाता है कि बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेक्टर, पटना का पत्रांक- BIRSAC-MISC-03/2020-314, दिनांक- 08.07.21 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा नवादा जिला के मौजा- खखन्दुआ के नीलामित पत्थर भूखण्ड सं०- A एवं B का नीलामी के आधार पर स्थलीय जाँचपरान्त दोनों भूखण्डों का नियामक सहित उपलब्ध कराये गये नक्शा के अनुसार अपने-अपने भूखण्डों का नया खनन योजना एक सप्ताह के अंदर जमा करना सुनिश्चित करें।

Block A			Block B		
13	24°47' 12.320" N	85°36' 1.327" E	1	24°47' 12.987" N	85°36' 1.845" E
14	24°47' 8.356" N	85°36' 2.304" E	2	24°47' 13.796" N	85°36' 3.814" E
15	24°47' 5.460" N	85°36' 3.001" E	3	24°47' 12.576" N	85°36' 5.788" E
16	24°47' 3.194" N	85°36' 3.479" E	4	24°47' 11.461" N	85°36' 7.929" E
17	24°47' 1.393" N	85°35' 59.924" E	5	24°47' 10.388" N	85°36' 10.881" E
18	24°46' 58.959" N	85°35' 54.892" E	6	24°47' 8.809" N	85°36' 15.000" E
19	24°47' 1.911" N	85°35' 53.248" E	7	24°47' 7.865" N	85°36' 13.315" E
20	24°47' 4.324" N	85°35' 51.935" E	8	24°47' 6.937" N	85°36' 11.648" E
21	24°47' 7.403" N	85°35' 55.588" E	9	24°47' 5.991" N	85°36' 9.775" E
22	24°47' 9.438" N	85°35' 57.940" E	10	24°47' 4.692" N	85°36' 6.944" E
			11	24°47' 3.444" N	85°36' 4.075" E



Rajendra Singh

अन्यथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण),
नियमावली, 2019 के नियम- 24 (17, 18 एवं 25 के साथ सहपठित) के तहत समाहर्ता को प्रदत्त
शक्तियों के अलाक में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण),
नियमावली, 2019 के नियम- 47(1) एवं 47(2)(अ) तथा 47(2)(ट) के तहत निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति को
रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन
17-7-23
समाहर्ता,
नवादा।

